

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दुर्गालाल पुत्र श्री ललितनारायण ब्राह्मण निवासी कुचलवाडा कलॉ

बनाम

नंदकिशोर पुत्र बजरंगलाल शर्मा निवासी कुचलवाडा कलॉ

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 512/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये |
|-------------|--|---|
| 13/05/2024 | <p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम हनुमाननगर प.ह. उँचा मे आराजी सं. 483 रकबा 0.5989 है. , 891/480 रकबा 0.3156 है. कुल किता 2 रकबा 0.9145 है. एवं ग्राम कुचलवाडा कलॉ पटवार क्षेत्र उँचा मे आराजी सं. 170 रकबा 0.8498 है. , 1916/270 रकबा 0.2024 है. , 252/3 रकबा 0.0486 है. , 274 रकबा 0.0809 है. कुल किता 4 रकबा 1.1817 है. भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम हनुमाननगर प.ह. उँचा की आराजी सं. 483 रकबा 0.5989 है. , 891/480 रकबा 0.3156 है. कुल किता 2 रकबा 0.9145 है. एवं ग्राम कुचलवाडा कलॉ पटवार क्षेत्र उँचा की आराजी सं. 170 रकबा 0.8498 है. , 1916/270 रकबा 0.2024 है. , 252/3 रकबा 0.0486 है. , 274 रकबा 0.0809 है. कुल किता 4 रकबा 1.1817 है.भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p> | |

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक /रीडर/ 2024 /502/ 2024


दिनांक -13/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 502/2024 अनवान दुर्गालाल पुत्र श्री ललितनारायण ब्राह्मण निवासी कुचलवाडा कलों बनाम नंदकिशोर पुत्र बजरंगलाल शर्मा , रामप्रसाद पुत्र रामदयाल उपाध्याय , महावीर पुत्र भँवरलाल उपाध्याय , ओमप्रकाश पुत्र भँवरलाल उपाध्याय , जितेन्द्र पुत्र भँवरलाल उपाध्याय , भवानी सिंह पुत्र जयसिंह राजपूत , राधेश्याम पुत्र उदा गुर्जर निवासी कुचलवाडा कलों तहसील जहाजपुर , भोपालसिंह मीणा निवासी केसरपुरा हाल निवास देवली वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम हनुमाननगर प.ह. उँचा की आराजी सं. 483 रकबा 0.5989 है. , 891/480 रकबा 0.3156 है. कुल किता 2 रकबा 0.9145 है. एवं ग्राम कुचलवाडा कलों पटवार क्षेत्र उँचा आराजी सं. 170 रकबा 0.8498 है. , 1916/270 रकबा 0.2024 है. , 252/3 रकबा 0.0486 है. , 274 रकबा 0.0809 है. कुल किता 4 रकबा 1.1817 है. भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा